राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4101/2022

अनिता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. धनपति, एएनएम, उपकेन्द्र कल्हरिया की ढाणी, मलसीसर, झुंझुनू ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुल्हरियों की ढाणी, मलसीसर, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साता, बाड़मेर 400 कि.मी. दूर किया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 अधिशेष होने के कारण उनका स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था लेकिन अनुचित लाभ देने की दृष्टि से एवं समायोजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इससे पूर्व प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.01.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र कुल्हारियों की ढाणी खण्ड मलसीसर जिला झुन्झुनूं में किया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 22.01.2021 को कार्यग्रहण कर लिया। जिसके विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1000/2021 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.02.2021 द्वारा स्थगन दिया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.02.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को कुल्हरियों की ढाणी, मलसीसर, झुन्झुनूं में यथावत रखे जाने एवं वेतन भी इसी स्थान से आहरित किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2022 जिसके द्वारा ऐसे नर्सिंग कर्मी

जिनका वेतन मूल पदस्थापन स्थान से आहरित न कर अन्यत्र स्थान से आहरित किया जा रहा है ऐसे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करे फिर भी प्रत्यर्थी संख्या–3 को कार्यमुक्त कर निदेशालय नहीं भिजवाया गया। उनका यह कथन है कि चुनौती आदेश दिनांक 03.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र कुल्हरियों की ढाणी मलसीसर झुंझुनूं से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साता, बाडमेर 400 कि.मी दूर कर दिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 धनपति अधिशेष होने से उसका स्थानान्तरण करना चाहिए था। साथ ही आक्षेपित आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है जारी आदेश में पंचायती राज विभाग से सहमति लेने का कोई उल्लेख जारी आदेश में नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप केन्द्र कुल्हरिया की ढाणी, मलसीसर, जिला झुन्झुनूं से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साता, जिला बाड़मेर लगभग 400 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी उप केन्द्र कुल्हरिया की ढाणी, मलसीसर, जिला झुन्झुनूं में अधिशेष नहीं है फिर भी अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साता, जिला बाड़मेर स्थानान्तरण कर दिया। उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 में ही क्रम संख्या 338 पर अंकित कौशल्या, एएनएम का समान प्रकरण में माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति अपीलार्थी के संबंध में रोकी जाकर अपीलार्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र, कुल्हरियों की ढाणी, मलसीसर, झुन्झुनूं में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार इसके अधीन आने वाले प्रकरणों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानांतरणों के लिए पंचायतीराज विभाग की सहमति आवश्यक है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह स्पष्ट रूप से

अंकित है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आलोच्य आदेश के संबंध में पंचायतीराज विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई मान्य रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर अधिशेष नहीं है। वस्तुतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश दिनांक 15.02.2021 (अनुलग्नक–3) के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र कुल्हरियों की ढाणी खण्ड मलसीसर से वेतन धनपति (प्रत्यर्थी संख्या 3) के आहरित करने के आदेश है इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वेतन किसी अन्य रिक्त पद से आहरित होने से वह अधिशेष है। इस प्रकार आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 400 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)